

हरियाणा सरकार

पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग

अधिसूचना

दिनांक 17 जुलाई, 1997

सं० सा० का० नि० 59/संवि०/अनु० 309/97.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदान की गई शक्तियों तथा इस निमित्त उन्हें समर्थ बनाने वाली सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा राज्य पुरातत्व एवं संग्रहालय (ग्रुप क) सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती तथा उनकी सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

भाग-I सामान्य

1. (1) ये नियम हरियाणा राज्य पुरातत्व एवं संग्रहालय (ग्रुप क) सेवा नियम, 1997, कहे जा सकते हैं।
(2) ये तुरन्त लागू होंगे।

संक्षिप्त नाम
तथा प्रारम्भ।

परिभाषायें।

2. इन नियमों में, जब तक संदर्भ से, अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "आयोग" से अभिप्राय है, हरियाणा लोक सेवा आयोग;
(ख) "सीधी भर्ती" से अभिप्राय है, कोई भी नियुक्ति जो सेवा में से पदोन्नति द्वारा या भारत सरकार या किसी राज्य सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी अधिकारी के स्थानान्तरण से अन्यथा की गई हो;

(ग) "सरकार" से अभिप्राय है, प्रशासनिक विभाग में, हरियाणा सरकार;

(घ) "संस्था" से अभिप्राय है,—

(i) हरियाणा राज्य में लागू विधि द्वारा स्थापित कोई संस्था; या

(ii) इन नियमों के प्रयोजनार्थ सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई संस्था;

(ङ) "मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय" से अभिप्राय है,—

(i) भारत में विधि द्वारा निर्दिष्ट कोई विश्वविद्यालय; या

(ii) 15 अगस्त, 1947 से पूर्व हुई परीक्षा के परिणामस्वरूप प्राप्त उपाधि, उपाधि-पत्र (डिप्लोमा) या प्रमाण-पत्र की दशा में, पंजाब, सिंध या ढाका विश्वविद्यालय; या

(iii) कोई अन्य विश्वविद्यालय जिसे इन नियमों के प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय घोषित किया गया हो;

(च) "सेवा" से अभिप्राय है, हरियाणा राज्य पुरातत्व एवं संग्रहालय (ग्रुप क) सेवा।

भाग II—सेवा में भर्ती

पदों की संख्या
और उनका स्वरूप।

3. सेवा में इन नियमों के परिशिष्ट क में बताए गये पद होंगे:

परन्तु इन नियमों की कोई भी बात ऐसे पदों की संख्या में वृद्धि या कमी करने या विभिन्न पदनामों और वेतनमानों वाले नये पद स्थायी अथवा अस्थायी रूप से बनाने के सरकार के अन्तर्निहित अधिकार पर प्रभाव नहीं डालेगी।

सेवा में नियुक्त
सम्मीदबारों की
राष्ट्रिकता, अधि-
वास तथा चरित्र।

4. (1) कोई भी व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्त तब तक नहीं किया जायेगा, जब तक कि वह निम्नलिखित न हो:—

(क) भारत का नागरिक; या

(ख) नेपाल की प्रजा; या

(ग) भूटान की प्रजा; या

(घ) तिब्बत का शरणार्थी, जो पहली जनवरी, 1962, से पहले भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से आया हो; या

(ङ) भारतीय पून का व्यक्ति जो पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, या कीनियां, युगांडा या तंजानिया के संयुक्त गणराज्य (भूतपूर्व टांगानिका और जंजीबार), जांबिया, मलावी, जायरे और ईथोपिया के किसी पूर्वी अफ्रीकी देश से प्रवासित होकर भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से आया हो:

परन्तु प्रवर्ग (ख), (ग), (घ) या (ङ) से सम्बन्धित व्यक्ति ऐसा व्यक्ति होगा जिसके पक्ष में सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण-पत्र जारी किया गया हो।

(2) कोई भी व्यक्ति, जिसकी दशा में पात्रता का प्रमाण-पत्र आवश्यक हो, आयोग अथवा अन्य भर्ती प्राधिकरण द्वारा संचालित परीक्षा या साक्षात्कार के लिये, प्रविष्ट किया जा सकता है किन्तु नियुक्ति का प्रस्ताव उसे सरकार द्वारा आवश्यक पात्रता प्रमाण-पत्र जारी किये जाने के बाद ही दिया जा सकता है।

(3) कोई भी व्यक्ति सेवा में सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक कि वह अन्तिम उपस्थिति के विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय या संस्था के, यदि कोई हो, प्रधान शैक्षणिक अधिकारी से चरित्र प्रमाण-पत्र, और दो ऐसे अन्य जिम्मेदार व्यक्तियों से जो उसके सम्बन्धी न हों, किन्तु उसके व्यक्तिगत जीवन से उससे भली-भांति परिचित हों, और जो उसके विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय या संस्था से सम्बन्धित न हों, उसी प्रकार के प्रमाण-पत्र प्रस्तुत न करें।

5. कोई भी व्यक्ति सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त नहीं किया जाएगा, जो आयोग या अन्य भर्ती प्राधिकरण को आवेदन प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि को 25 वर्ष की आयु से कम या 40 वर्ष से अधिक आयु का हो।

आयु।

6. सेवा में पदों पर नियुक्तियां सरकार द्वारा की जायेंगी।

नियुक्ति प्राधिकारी।

7. कोई भी व्यक्ति सेवा में किसी भी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक वह सीधी भर्ती की दशा में, इन नियमों के परिशिष्ट ख के खाना 2 में तथा सीधी भर्ती से प्रत्या नियुक्ति की दशा में पूर्वोक्त परिशिष्ट के खाना 3 में विनिर्दिष्ट अर्हताएं तथा अनुभव न रखता हो :

अर्हताएं।

परन्तु सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति की दशा में अनुभव सम्बंधी अर्हताओं में आयोग या अन्य भर्ती प्राधिकरण के विवेक पर 50 प्रतिशत की सीमा तक ढील दी जा सकेगी, यदि अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों तथा शारीरिक रूप से विकलांग प्रवर्गों में उनके लिये आरक्षित पदों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध न हो, ऐसा करने के लिए लिखित रूप में कारण दिये जायेंगे।

8. कोई भी व्यक्ति,—

निरर्हताएं।

(क) जिसने जीवित पति/पत्नी वाले व्यक्ति से विवाह कर लिया है या विवाह की संबिदा कर ली है ; या

(ख) जिसने पति/पत्नी के जीवित होते हुये, किसी अन्य व्यक्ति से विवाह कर लिया है या विवाह की संबिदा कर ली है ;

सेवा में किसी भी पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि सरकार की सन्तुष्टि हो जाये कि ऐसे व्यक्ति तथा विवाह के दूसरे पक्ष पर लागू स्वीय विधि के अधीन ऐसा विवाह अनुज्ञेय है तथा ऐसा करने के अन्य आश्वासन भी हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस निबन्ध के लागू होने से छूट दे सकती है।

9. (1) उप-निवेशक पुरातत्व के पद पर सेवा में भर्ती निम्नलिखित ढंग से की जायेंगी :— भर्ती का ढंग।

(i) सहायक निवेशक, क्यूरेटर, न्यूमिस्मैटिक अधिकारी, पंजीकरण अधिकारी में से पदोन्नति द्वारा ; या

(ii) सीधी भर्ती द्वारा ; या

(iii) किसी राज्य सरकार अथवा भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लग किसी अधिकारी/कर्मचारी के स्थानान्तरण अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा ;

(2) जब तक अन्यथा उपबन्धित न हों, पदोन्नति द्वारा नियुक्त ज्येष्ठता एवं योग्यता के आधार पर की जाएगी और केवल ज्येष्ठता ही ऐसी पदोन्नति के लिये अधिकार प्रदान नहीं करेगी।

(3) जब भी कोई रिक्ति होती है या होने वाली हो, सरकार निर्धारित करेगी कि रिक्ति किस रीति से भरी जाएगी।

परिवीक्षा।

10. (1) सेवा में किसी भी पद पर नियुक्त व्यक्ति यदि वह सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो तो दो वर्ष की अवधि के लिये और यदि अन्यथा नियुक्त किया गया हो तो एक वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षा पर रहेगा :

परन्तु—

(क) ऐसी नियुक्ति के बाद किसी अनुरूप या उच्चतर पद पर प्रतिनियुक्ति पर व्यतीत की गई कोई अवधि परिवीक्षा की अवधि की और गिनी जायेगी ;

(ख) स्थानान्तरण द्वारा किसी नियुक्ति की दशा में सेवा में किसी पद पर नियुक्ति से पहले किसी समकक्ष अथवा उच्चतर पद पर किए गए कार्य की कोई अवधि नियुक्ति प्राधिकारी के विवेक पर इस नियम के अधीन नियत परिवीक्षा अवधि की ओर गिनने दी जा सकती है ; और

(ग) स्थानापन्न नियुक्ति की कोई अवधि परिवीक्षा पर व्यतीत की गई अवधि के रूप में गिनी जायेगी किन्तु कोई भी व्यक्ति जिसने ऐसे स्थानापन्न रूप में कार्य किया है, परिवीक्षा की विहित अवधि के पूरा होने पर यदि वह किसी स्थायी रिक्ति पर नियुक्त न किया गया हो, पुष्ट किए जाने का हकदार नहीं होगा।

(2) यदि नियुक्ति प्राधिकारी की राय में परिवीक्षा की अवधि के दौरान किसी व्यक्ति का कार्य या आचरण संतोषजनक न रहा हो, तो वह,—

(क) यदि ऐसा व्यक्ति सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो तो उसे उसकी सेवाओं से अलग कर सकता है ; और

(ख) यदि ऐसा व्यक्ति सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्त किया गया हो तो—

(i) उसे उसके पूर्व पद पर प्रतिवर्तित कर सकता है ; या

(ii) उसके संबंध में किसी ऐसी अन्य रीति में कार्यवाही कर सकता है जो उसकी पूर्व नियुक्ति के निबन्धन तथा शर्त अनुज्ञात करे।

(3) किसी व्यक्ति की परिवीक्षा अवधि पूरी होने पर, नियुक्त प्राधिकारी,—

(क) यदि उसकी राय में उसका कार्य या आचरण संतोषजनक रहा हो तो,—

(i) ऐसे व्यक्ति को, यदि वह किसी स्थायी रिक्ति पर नियुक्त किया गया हो, तो उसकी नियुक्ति की तिथि से पुष्ट कर सकता है; या

(ii) ऐसे व्यक्ति को, यदि यह किसी अस्थायी रिक्ति पर नियुक्त किया गया हो, स्थायी रिक्ति होने की तिथि से पुष्ट कर सकता है; या

(iii) यदि कोई स्थायी रिक्ति न हो, तो घोषित कर सकता है कि उसने अपनी परिवीक्षा अवधि संतोषजनक ढंग से पूरी कर ली है; या

(ख) यदि उसका कार्य या आचरण, उसकी राय में संतोषजनक न रहा हो तो,—

(i) यदि वह सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो तो उसे उसकी सेवा से अलग कर सकता है यदि अन्यथा नियुक्त किया गया हो तो उसके पूर्व पद पर प्रतिवर्तित कर सकता है या उसके संबंध में ऐसी अन्य रीति में कार्रवाई कर सकता है जो उसकी पूर्व नियुक्ति के निबन्धन तथा शर्तों अनुज्ञात करे; या

(ii) उसकी परिवीक्षा अवधि बढ़ा सकता है और उसके बाद ऐसे आदेश कर सकता है जो वह परिवीक्षा की प्रथम अवधि की समाप्ति पर कर सकता था :

परन्तु परिवीक्षा की कुल अवधि, जिसमें बढ़ाई गई अवधि भी, यदि कोई है, शामिल है, तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

11. सेवा में सदस्यों की परस्पर ज्येष्ठता किसी भी पद पर उनके लगातार ज्येष्ठता।
सेवाकाल के अनुसार निश्चित की जायेगी :

परन्तु जहाँ सेवा में विभिन्न संवर्ग हों, वहाँ ज्येष्ठता प्रत्येक संवर्ग के लिये अलग-अलग निश्चित की जायेगी :

परन्तु यह और कि सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में उनकी ज्येष्ठता नियत करते समय आयोग द्वारा, निश्चित योग्यता क्रम भंग नहीं किया जायेगा :

परन्तु यह और कि एक ही तिथि को नियुक्त दो या दो से अधिक सदस्यों की दशा में उनकी ज्येष्ठता निम्नलिखित रूप से निश्चित की जायेगी,—

(क) सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त सदस्य पदोन्नति या स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्य से ज्येष्ठ होगा ;

(ख) पदोन्नति द्वारा नियुक्त सदस्य स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्य से ज्येष्ठ होगा ;

(ग) पदोन्नति अथवा स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में, ज्येष्ठता ऐसी नियुक्तियों में ऐसे सदस्यों की ज्येष्ठता के अनुसार निश्चित की जायेगी, जिनसे वे पदोन्नत या स्थानान्तरित किये गये थे ;

(घ) विभिन्न संवर्गों से स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में, उनकी ज्येष्ठता वेतन के अनुसार निश्चित की जाएगी, अधिमान ऐसे सदस्यों को दिया जाएगा जो अपने पहले की नियुक्ति में उच्चतर दर पर वेतन ले रहा था और यदि मिलने वाले वेतन की दर भी समान हो तो उनकी नियुक्तियों में उनके सेवाकाल के अनुसार और यदि सेवाकाल भी समान हो तो आयु में बड़ा सदस्य छोटे सदस्य से ज्येष्ठ होगा।

सेवा करने का
दायित्व।

12. (1) सेवा का कोई सदस्य, नियुक्त प्राधिकारी द्वारा, हरियाणा राज्य में अथवा उसके बाहर किसी भी स्थान पर, सेवा करने के लिये, आदेश दिये जाने पर, ऐसा करने के लिए दायी होगा।

(2) सेवा के किसी सदस्य को सेवा करने के लिए निम्नलिखित के अधीन भी प्रतिनियुक्त किया जा सकता है:—

(i) कोई कम्पनी, संगम या व्यष्टि निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं, जिसका पूर्ण या अधिकांश स्वामित्व या नियंत्रण हरियाणा सरकार के पास है, हरियाणा राज्य के भीतर नगर निगम, या स्थानीय प्राधिकरण या विश्वविद्यालय; या

(ii) केन्द्रीय सरकार या ऐसी कम्पनी, संगम या व्यष्टि निकाय चाहे वह निगमित हो या नहीं, जिसका पूर्ण या अधिकांश स्वामित्व या नियंत्रण केन्द्रीय सरकार के पास हो; या

(iii) कोई अन्य राज्य सरकार, अन्तर्राष्ट्रीय संगठन, कोई स्वायत्त निकाय जो राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित न हो अथवा गैर-सरकारी निकाय:

परन्तु सेवा के किसी भी सदस्य को उसकी सहमति के बिना खण्ड (ii) या खण्ड (iii) में विनिर्दिष्ट केन्द्रीय या किसी अन्य राज्य सरकार या किसी संगठन या निकाय में सेवा करने के लिए प्रतिनियुक्त नहीं किया जाएगा।

वेतन, छुट्टी, पेंशन
तथा अन्य मामले।

13. वेतन, छुट्टी, पेंशन तथा सभी अन्य मामलों के सम्बन्ध में जिनका इन नियमों में स्पष्ट रूप से उपबन्ध नहीं किया गया है, सेवा के सदस्य ऐसे नियमों तथा विनियमों द्वारा नियंत्रित होंगे, जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा भारत के संविधान के अधीन अथवा राज्य विधानमण्डल द्वारा बनाई गई तथा उस समय लागू किसी विधि के अधीन अपनाए या बनाए जाएं।

4. (1) अनुशासन, शास्तियों तथा अपीलों से सम्बन्धित मामलों में, सेवा के सदस्य समय-समय पर यथा संशोधित हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 1987, द्वारा नियंत्रित होंगे :

परन्तु ऐसे शास्तियों का स्वरूप, जो लगाई जा सकती हैं, ऐसी शास्तियां लगाने के लिये सशक्त प्राधिकारी तथा अपील प्राधिकारी भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अधीन बनाई गई किसी विधि या नियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए वे होंगे, जो इन नियमों के परिशिष्ट "ग" में विनिर्दिष्ट हैं।

(2) हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 9 के उप-नियम (I) के खण्ड (ग) या खण्ड (घ) के अधीन आदेश करने के लिये सक्षम प्राधिकारी तथा अपील प्राधिकारी भी वही होगा जो इन नियमों के परिशिष्ट घ में विनिर्दिष्ट है।

15. सेवा का प्रत्येक सदस्य, जब सरकार; किसी विशेष या साधारण आदेश द्वारा ऐसा निर्देश करे, टीका लगवायेगा तथा पुनः टीका लगवायेगा। टीका लगवाना।

16. सेवा के प्रत्येक सदस्य से जब तक उसने पहले ही भारत के प्रति तथा विधि राज्य निष्ठा की द्वारा यथा स्थापित भारत के संविधान के प्रति राजनिष्ठा की शपथ न ले ली हो, ऐसा शपथ करने की अपेक्षा की जायेगी।

17. जहां सरकार की राय में, इन नियमों के किसी उपबन्ध में ढील देना आवश्यक हो उचित हो वहां वह कारण लिखकर, आदेश द्वारा व्यक्तियों के किसी वर्ग या प्रवर्ग के बारे में ऐसा कर सकती है। ढील देने की शक्ति।

18. इन नियमों में किसी बात के होते हुये भी, नियुक्ति प्राधिकारी यदि ऐसा उचित समझता है तो वह नियुक्ति आदेश में विशेष निबन्धन तथा शर्तें लगा सकता है। विशेष उपबन्ध।

19. इन नियमों में दी गई कोई भी बात राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों भूतपूर्व सैनिकों, शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों के किसी अन्य वर्ग या प्रवर्ग को दिये जाने के लिये अपेक्षित आरक्षणों तथा अन्य रियायतों को प्रभावित नहीं करेगी : आरक्षण।
परन्तु इस प्रकार किये गये आरक्षण की कुल प्रतिशतता किसी भी समय पचास प्रतिशत से अधिक नहीं बढ़ेगी।

20. सेवा को लागू कोई नियम तथा इन नियमों के अनुरूप कोई नियम, जो इन नियमों के आरम्भ से तुरन्त पहले लागू थे, इसके द्वारा निरसित किए जाते हैं : निरसित तथा व्यावृत्ति।

परन्तु इस प्रकार से निरसित किए गए नियमों के अधीन किया गया कोई आदेश या कोई कोई कार्रवाई इन नियमों के अनुरूप उपबन्धों के अधीन किया गया आदेश अथवा कोई कोई कार्रवाई समझी जायेगी।

परिशिष्ट क
(देखिए नियम 3)

पदनाम	पदों की संख्या			वेतनमान
	स्थायी	अस्थायी	कुल	
1	2	3	4	5
उप-निदेशक पुरातत्व	--	1	1	2,200--75--2,800--द० री०-- 100--4,000 रुपये

परिशिष्ट ख

(देखिए नियम 7)

पदनाम

सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति के लिए
योग्यताएं और अनुभव, यदि कोई हो

सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्ति
के लिए योग्यताएं तथा अनुभव
यदि कोई हो

1

2

3

उप-निदेशक पुरातत्व

(i) प्राचीन भारतीय इतिहास संस्कृति
तथा पुरातत्व में 55 प्रतिशत अंकों
सहित कम से कम द्वितीय श्रेणी में
निष्णात उपाधि;

(i) पदोन्नति के लिये सहायक
निदेशक, क्यूरेटर, न्युनिस्मै-
टिक अधिकारी, रजिस्ट्रार
अधिकारी के रूप में कम
से कम 5 वर्ष का अनुभव,

(ii) पुरातत्व विद्यालय, भारत सरकार
पुरातत्ववीय सर्वेक्षण, नई दिल्ली से
पुरातत्व विज्ञान में स्नातकोत्तर
डिप्लोमा ;

(iii) किसी मान्यता प्राप्त संस्था या
भारतीय पुरातत्ववीय सर्वेक्षण या
राज्य पुरातत्ववीय विभाग में
संस्मारकों, स्थलों, तथा अवशेषों की
खुदाई या खोज या संरक्षण या परि-
रक्षण सहित पुरातत्ववीय प्रचालन का
का सात वर्ष का व्यावहारिक अनुभव,

अधिमानत :

(i) संस्कृत/पाली/प्राकृत में स्नातक ;

(ii) स्थानीय बोली का ज्ञान

(ii) स्थानान्तरण अथवा प्रति-
नियुक्ति के लिए

(क) प्राचीन भारतीय इतिहास
संस्कृति तथा पुरातत्व
विज्ञान में 55 प्रतिशत
अंकों सहित कम से कम
द्वितीय श्रेणी में निष्णात
उपाधि ;

परिशिष्ट "ग"

[देखिये नियम 14(1)]

पदनाम	नियुक्ति प्राधिकारी	शास्ति का स्वरूप	शास्ति लगाने के लिए सशक्त प्राधिकारी	अपील प्राधिकारी
1	2	3	4	5
उप-निदेशक पुरातत्व	सरकार	<p>1. छोटी शास्तियाँ—</p> <p>(i) वैयक्तिक फाईल (आचरण पंजी) पर प्रति रखते हुए चेतावनी;</p> <p>(ii) परिनिन्दा ;</p> <p>(iii) पदोन्नति रोकना ;</p> <p>(iv) आदेशों की उपेक्षा या उल्लंघन द्वारा केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार को, या ऐसी कम्पनी, संगम तथा व्यक्ति निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं जिसका पूर्ण या अधिकांश स्वामित्व या नियन्त्रण सरकार के पास है या संसद या राज्य विधान मण्डल के अधिनियम द्वारा स्थापित किसी स्थानीय प्राधिकरण या विश्वविद्यालय को हुई धन सम्बन्धी पूरी हानि की या उसके भाग की वेतन से वसूली ;</p> <p>(v) संचयी प्रभाव के बिना वेतन वृद्धियाँ रोकना ;</p> <p>2. बड़ी शास्तियाँ—</p> <p>(vi) संचयी प्रभाव सहित वेतन वृद्धियाँ रोकना ;</p> <p>(vii) किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिये समयमान में निम्नतर प्रक्रम पर अवनति ऐसे अतिरिक्त निर्देशों सहित कि क्या सरकारी कर्मचारी ऐसी अवनति</p>	सरकार	—

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

की अवधि के दौरान वेतन वृद्धियां अर्जित करेगा या नहीं और क्या ऐसी अवधि की समाप्ति पर ऐसी अवधि उसकी भावी वेतन वृद्धियां स्थगित करने का प्रभाव रखेगी या नहीं ;

(viii) निम्नतर वेतनमान, ग्रेड, पद या सेवा पर ऐसी अवधि जो सरकारी कर्मचारी के उस समय वेतनमान, ग्रेड, पद या सेवा पर जिससे वह अवधि किया गया था, पदोन्नति के लिए साधारण तथा रोक होगी ऐसा जिस ग्रेड, अथवा पद अथवा सेवा से सरकारी कर्मचारी अवधि किया गया था उस पर बहाली सम्बन्धी और उसकी ज्येष्ठता तथा उस ग्रेड, पद या सेवा पर वेतन के बारे में शर्तों सम्बन्धी अतिरिक्त निर्देशों के साथ था उसके बिना होगा ;

(ix) अनिवार्य सेवा निवृत्ति ;

(x) सेवा से हटाया जाना जो सरकार के अधीन भावी नियोजन के लिए निरर्हता नहीं होगी ;

(xi) सेवा से पदच्युति जो सरकार के अधीन भावी नियोजन के लिए सामान्यतः निरर्हता होगी ।

परिशिष्ट "घ"

[देखिये नियम 14 (2)]

पदनाम	आदेश का स्वरूप	आदेश करने के लिए सशक्त प्राधिकारी	अपील प्राधिकारी
-------	----------------	-----------------------------------	-----------------

1

2

3

4

उप-निदेशक परातत्व

(i) पैशन को

सरकार

नियंत्रित करने वाले नियमों के अधीन उसे अनुज्ञेय सामान्य/ अतिरिक्त पैशन की राशि में कमी करना या रोकना; और

(ii) उसकी

अभिधर्षिता के लिये नियत आयु के हान से अन्यथा, नियुक्ति की समाप्ति।

धनेन्द्र कुमार,

सचिव, हरियाणा सरकार,
पुरामूल्य एवं संग्रहालय विभाग।



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

CHANDIGARH, THURSDAY, DECEMBER 27, 2012 (PAUSA 6, 1934 SAKA)

हरियाणा सरकार

पुरातत्व तथा संग्रहालय विभाग

अधिसूचना

दिनांक 27 दिसम्बर, 2012

संख्या 2(आर०) 24-2011-पुरा/5544.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा राज्य पुरातत्व एवं संग्रहालय (गुप क) सेवा नियम, 1997 को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. ये नियम हरियाणा राज्य पुरातत्व एवं संग्रहालय (गुप क) सेवा संशोधन नियम, 2012, कहे जा सकते हैं।

2. हरियाणा राज्य पुरातत्व एवं संग्रहालय (गुप क) सेवा नियम, 1997 (जिसे, इसमें, इसके बाद उक्त नियम कहा गया है) में, परिशिष्ट 'क' के स्थान पर, निम्नलिखित परिशिष्ट प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“परिशिष्ट क

(देखिए नियम 3)

पदनाम	पदों की संख्या		कुल	वेतनमान
	स्थायी	अस्थायी		
1	2	3	4	5
उपनिदेशक पुरातत्व	1	—	1	वेतन बैंड-3 15600-39100+5400 ग्रेड वेतन”।

3. उक्त नियमों में, परिशिष्ट ख में, खाना 3 के नीचे, विद्यमान मद (i) के स्थान पर, निम्नलिखित मद प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

“(i) पदोन्नति द्वारा—सहायक निदेशक, क्यूरेटर, न्युमिस्मैटिक अधिकारी, रजिस्ट्रार अधिकारी के रूप में कम से कम 5 वर्ष का अनुभव;

अथवा

सहायक निदेशक, क्यूरेटर, न्युमिस्मैटिक अधिकारी, रजिस्ट्रार अधिकारी तथा सहायक पुराविद के रूप में कम से कम 10 वर्ष का संयुक्त अनुभव जिसमें से सहायक निदेशक, क्यूरेटर, न्युमिस्मैटिक अधिकारी, रजिस्ट्रार अधिकारी के रूप में 2 वर्ष का अनुभव”।

विजय वर्मा,

प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,

पुरातत्व तथा संग्रहालय विभाग।

हरियाणा सरकार
पुरातत्व तथा संग्रहालय विभाग
अधिसूचना

दिनांक 28 अगस्त, 2015

संख्या सा0का0नि0 15/सवि./अनु. 309/2015.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदान शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा राज्य पुरातत्व एवं संग्रहालय (युप क) सेवा नियम, 1997 का आगे संशोधित करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाये हैं, अर्थात् :-

1. ये नियम हरियाणा राज्य पुरातत्व एवं संग्रहालय (युप क) सेवा (संशोधन) नियम, 2015, कहे जा सकते हैं।
2. हरियाणा राज्य पुरातत्व एवं संग्रहालय (युप क) सेवा नियम, 1997 में, परिशिष्ट ख में, -
 - (I) खाना 2 के नीचे, मद (iii) के बाद, निम्नलिखित मद जोड़ी जाएगी, अर्थात् :-
“(iv) मेट्रिक स्तर तक या उच्चतर शिक्षा में हिन्दी/संस्कृत का ज्ञान; तथा
 - (II) खाना 3 के नीचे, मद (ii) में, खण्ड (घ) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्
“(घ) मेट्रिक स्तर तक या उच्चतर शिक्षा में हिन्दी/संस्कृत का ज्ञान;”।

विजय वर्धन,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
पुरातत्व तथा संग्रहालय विभाग।

**HARYANA GOVT GAZ. AUG. 12, 1997
(SRVN. 21, 1919 SAKA)**

[Authorised English Translation]

**HARYANA GOVERNMENT
DEPARTMENT OF ARCHAEOLOGY AND MUSEUMS**

Notification

The 17th July, 1997

No. G.S.R. 59/Const./ Art. 309/97 - In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, and all other powers enabling him in this behalf, the Governor of Haryana hereby makes the following rules regulating the recruitment and conditions of service of persons appointed to the Haryana State Archaeology and Museum (Group A), Service namely :-

PART I-GENERAL

Short title and
Commencement.

1. These rules may be called the Haryana State Archaeology and Museum (Group A) Service Rules, 1997.

(2) They shall come into force at once.

Definitions.

2. In these rules, unless the context otherwise requires,-

- a) "Commission" means the Haryana Public Service Commission ;
- b) "Direct recruitment" means an appointment made otherwise than by promotion from within the Service or by transfer of an official already in the service of the Government of India or any State Government ;
- c) "Government" means the Haryana Government in the Administrative Department ;
- d) "institution" means,-
 - (i) any institution, established by law in force in the State of Haryana ; or
 - (ii) any other institution recognized by the Government for the purpose of these rules ;
- e) "recognized University" means,-
 - (i) any University incorporated by law in India ; or
 - (ii) in the case of a degree, diploma or certificate obtained as a result of an examination held before the 15th August, 1947, the Punjab, Sind or Dacca University ;
or
 - (iii) any other university which is declared by the Government

to be a recognised university for the purpose of these rules ;

- f) “Service” means the Directorate of Local Bodies, Haryana (Group A) Service.

PART II - RECRUITMENT TO SERVICE

3. The Service shall comprise the posts shown in Appendix A to these rules :

Number and character of posts.

Provided that nothing in these rules shall affect the inherent right of the Government to make additions to, or reductions in the number of such posts or to create new posts with different designations and scales of pay, either permanently or temporarily.

4. (1) No person shall be appointed to any post in the Service, unless he is,--

Nationality, domicile and character of candidates appointed to service.

(a) a citizen of India ; or

(b) a subject of Nepal ; or

(c) a subject of Bhutan ; or

(d) a Tibetan refugee who came over to India before the 1st day of January, 1962, with the intention of permanently settling in India ; or

(e) a person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma, Sri Lanka or any of the East African countries of Kenya, Uganda, the United Republic of Tanzania (formerly Tanganyika and Zanzibar) Zambia, Malawi, Zaire and Ethiopia with the intention of permanently settling in India :

Provided that a person belonging to any of the categories (b), (c), (d) or (e) shall be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the Government.

(2) A person in whose case a certificate of eligibility is necessary may be admitted to an examination or interview conducted by the Commission or any other recruiting authority, but the offer of appointment may be given only after the necessary eligibility certificate has been issued to him by the Government.

(3) No person shall be appointed to any post in the Service by direct recruitment, unless he produces a certificate of character from the Principal Academic Officer of the University, College, School or Institution last attended, if any, and similar certificate from two other responsible persons, not being his relatives who are well acquainted with him in his private life and are unconnected with his University, College, School or Institution.

Age .

5. No person shall be appointed to any post in the Service by direct recruitment who is less than 25 years or more than 40 years

of age, on the last date of submission of application to the Commission.

Appointing
authority.
Qualifications.

6. Appointment to the posts in the Service shall be made by the Government.

7. No person shall be appointed to any post in the Service, unless he is in possession of the qualifications and experience specified in column 2 of the Appendix B to these rules in the case of direct recruitment and those specified in column 4 of the aforesaid Appendix in the case of person appointed other than by direct recruitment:

Provided that in case of direct recruitment, the qualifications regarding experience shall be relaxable to the extent of 50 percent at the discretion of the Commission or any other recruiting authority in case sufficient number of candidates belonging to Scheduled Castes, Backward Classes, Ex-Servicemen and physically handicapped possessing the requisite experience, are not available to fill up the vacancies reserved for them, after recording reasons for so doing in writing.

Disqualifications.

8. No person,-

- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living ; or
- (b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to any post in the Service :

Provided that the Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

Method of
retirement .

9. (1) Recruitment to the Service of Deputy Director Archaeology shall be made,-

- (i) by promotion from amongst Assistant Director/Curator, Numismatic Officer and Registering Officer.
 - (ii) by direct recruitment ; or
 - (iii) by transfer or deputation of an officer/official already in the service of any State Government or the Government of India ;
- (2) All promotions unless otherwise provided, shall be made on seniority-cum-merit basis and seniority alone shall not confer any right to such promotions.
- (3) Whenever a vacancy occurs or is about to occur in service, the Government shall determine in what manner such vacancy shall be filled in.

10. (1) Persons appointed to any post in the Service shall remain on Probation for a period of two years, if appointed by direct recruitment, and one year if appointed otherwise :

Probation.

Provided that –

- (a) any period, after such appointment, spent on deputation on a corresponding or a higher post shall count towards the period of probation ;
 - (b) any period of work in equivalent or higher rank, prior to appointment to any post in the service, may, in the case of an appointment by transfer, at the discretion of the appointing authority, be allowed to count towards the period of probation fixed under this rule ; and
 - (c) any period of officiating appointment shall be reckoned as period spent on probation, but no person who has so officiated shall, on the completion of prescribed period of probation, be entitled to be confirmed, unless he is appointed against a permanent vacancy.
- (2) If, in the opinion of the appointing authority the work or conduct of a person during the period of probation is not satisfactory, it may:-
- (a) If such person is appointed by direct recruitment dispense with his service; and
 - (b) If such person is appointed otherwise than by direct recruitment,-
 - (i) revert him to his former post ; or
 - (ii) deal with him in such other manner as the terms and conditions of the previous appointment permit.
- (3) On the completion of the period of probation of a person, the appointment authority may:-
- (a) If his work or conduct has, in its opinion, been satisfactory,-
 - (i) confirm such person from the date of his appointment, if appointed against a permanent vacancy ; or
 - (ii) confirm such person from the date from which a permanent vacancy occurs, if appointed against a temporary vacancy ; or
 - (iii) declare that he has completed his probation satisfactorily, if there is no permanent vacancy ; or
 - (b) If his work or conduct has, in its opinion, been not satisfactory,-
 - (i) dispense with his services if appointed by direct recruitment, if appointed otherwise, revert him to his former post of deal with him in such other manner as the terms and conditions of previous appointment permit ; or
 - (ii) extend his period of probation and thereafter pass such order as it could have passed on the expiry of the first period of probation :

Provided that the total period of probation, including extension, if any,

shall not exceed three years.

Seniority.

11. Seniority, *inter se* of the members of the Service shall be determined by the length of continuous Service on any post in the Service :

Provided that where there are different cadres in the Service, the seniority shall be determined separately for each cadre :

Provided further that in the case of members appointed by direct recruitment, the order of merit determined by the Commission or any other recruiting authority, shall not be disturbed in fixing the seniority :

Provided further that in the case of two or more members appointed on the same date, their seniority shall be determined as follows :-

- (a) a member appointed by direct recruitment shall be senior to a member appointed by promotion or by transfer ;
- (b) a member appointed by promotion shall be senior to a member appointed by transfer ;
- (c) in the case of member appointed by promotion or by transfer seniority shall be determined according to seniority of such members in the appointments from which they were promoted or transferred ; and
- (d) in the case of member appointed by transfer from different, cadres, their seniority shall be determined according to pay, preference being given to a member, who was drawing a higher rate of pay in his previous appointment, and if the rates of pay drawn are also the same, then by the length of their Service in the appointments, and if the length of such Service is also the same, the older member shall be senior to the younger member.

Liability to Serve.

12. (1) A member of the Service shall be liable to serve at any place, whether within or outside the State of Haryana, on being ordered so to do by the appointing authority.

(2) A member of Service may also be deputed to serve under,-

(i) a company, an association or a body of individuals whether incorporated or not, which is wholly or substantially owned or controlled by the State Government, a Municipal Corporation or a Local Authority or University within the State of Haryana ;

(ii) the Central Government or a company, an association or a body of individuals, whether incorporated or not, which is wholly or substantially owned or controlled by the Central Government ; or

(iii) any other State Government, an international organization,

an autonomous body not controlled by the Government or a private body :

Provided that no member of the Service shall be deputed to

serve the Central or any other State Government or any organisation or body referred to in clause (ii) or clause (iii) except with his consent.

13. In respect of pay, leave, pension and all other matters not expressly provided for in these rules, the members of the Service shall be governed by such rules and regulations as may have been, or may hereafter, be adopted or made by the competent authority under the Constitution of India or under any law for the time being in force made by the State Legislative.

pay leave,
pension and
other matters.

14. (1) In matters relating to discipline, penalties and appeals, members of the Service shall be governed by Haryana Civil Services (Punishment and Appeal) Rules, 1987, as amended from time to time :

Discipline
penalties and
appeals.

Provided that the nature of penalties which may be imposed, the authority empowered to impose such penalties and appellate authority shall, subject to the provision, of any law or rules made under article 309 of the Constitution of India, be such as are specified in Appendix 'C' to these rules.

(2) The authority competent to pass an order under clause (c) or clause (d) of sub-rule (I) of rule 9 of the Haryana Civil Services (Punishment and Appeal) Rules, 1987, and the appellate authority shall be as specified in Appendix D to these rules.

15. Every member of the Service shall get himself vaccinated or re-vaccinated as and when the Government so directs by a special or general order.

Vaccination.

16. Every member of the service, unless he has already done so, shall be required to take the Oath of allegiance to India and to the Constitution of India as by law established.

Oath of
allegiance.

17. Where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

Power of
relaxation.

18. Notwithstanding anything contained in these rules, the appointing authority may impose special terms and conditions of appointment if in the order it is deemed expedient to do so.

Special
provisions.

19. Nothing contained in these rules shall affect reservations, and other concession required to be provided for Scheduled Casts, Backward Classes, Ex-Servicemen, Physically handicapped persons or any other class or category of persons in accordance with the orders passed by the State Government in this regard, from time to time ;

Reservation.

Provided that the total percentage of reservations so made shall not exceed fifty per cent at any time.

Repeal and savings. 20. Any rules applicable to the Service and corresponding to any of these rules which is in force immediately before the commencement of these rules is hereby repealed ;

Provided that any order made or action taken under the rules so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provisions of these rules.

APPENDIX A

(See rule 3)

Designation of post	Number of posts		Total	Scale of pay
	Perma- nent	Tempo- rary		
1	2	3	4	5
Deputy Director Archaeology	—	1	1	Rs. 2,200-75-2.800-EB- 100-4,000

APPENDIX B

(See rule 7)

Designation of post	Academic qualifications and experience, if any, for direct recruitment	Academic qualifications and experience, if any, for appointment other than by direct recruitment.
1	2	3
Deputy Director Archaeology	<p>(i) At least 2nd Class Master's Degree with 55% marks in Ancient Indian History, Culture and Archaeology ;</p> <p>(ii) Post Graduate Diploma in Archaeology from the School Archaeology, Archaeological Survey of India, New Delhi ;</p> <p>(iii) Seven year practical experience of Archaeological Operations including excavation or exploration conservation or preservation of monuments, sites and remains in some recognised institution or Archaeological Survey of India or State Archaeological Department.</p>	<p>(i) for promotion At least 5 year experience as Assistant Director, Curator, Numismatic Officer, Registering Officer.</p> <p>(ii) for transfer or deputation-</p> <p>(a) At least 2nd Class Masters Degree with 55% marks in Ancient Indian History ; Culture and Archeology</p> <p>(b) Post Graduate Diploma in Archaeology from the School of Archaeology; Archaeological Survey of India , New Delhi.</p> <p>(c) Seven year practical experience of Archaeological Operations including excavation or exploration or conservation or preservation of monuments, sites and remains in some recognised institution or Archaeological Survey of India or State Archaeological Department.</p> <p>(d) Hindi upto Matriculation standard</p>
	<p><u>Preferential</u></p> <p>(i) Graduate with Sanskrit/Pali/Parakrit</p> <p>(ii) Knowledge of Local dialect.</p>	<p><u>Preferential</u></p> <p>(i) Graduate with Sanskrit/Pali/Parakrit</p> <p>(ii) Knowledge of Local dialect.</p>

APPENDIX

[See rule 14 (1)]

Designation of post	Appointing authority	Nature of penalty	Authority empowered to impose penalty	Appellate authority
1	2	3	4	5
Deputy Director Archaeology	Government	<p>MINOR PENALTIES:</p> <p>(i) Warning with a copy in the personal file (character roll) ;</p> <p>(ii) Censure ;</p> <p>(iii) withholding of promotion;</p> <p>(iv) recovery from pay of the whole or part of any pecuniary loss caused by negligence or breach of orders to the Central Government or a State Government or to a company and association or a body of individuals whether incorporated or not, which is wholly or substantially owned or controlled by the Government or to local authority or university set up by an Act of Parliament or of the Legislature of a State ; and</p> <p>(v) withholding of increments of pay without cumulative effect ;</p> <p>MAJOR PENALTIES :</p> <p>(vi) withholding of increments of pay with cumulative effect ;</p>	Government	-

(vii) reduction to a lower stage in the time scale of pay for a specified period with further directions as to whether or not to the Government employee will earn increments of pay during the period of such reduction and whether on the expiry of such period the reduction will or will not have the effect of postponing the future increments of his pay ;

(viii) reduction to a lower scale of pay, grade, post of service which shall ordinarily be a bar to promotion of the Government employee to the time scale of pay, grade, post or service from which he was reduced with or without further directions regarding conditions of restoration to the grade or post of service from which the Government employee was reduced and his seniority and pay on such restoration to that grade, post of service ;

(ix) compulsory retirement ;

(x) removal from service which shall not be a disqualification for further employment under the Government ;

(xi) dismissal from service which shall ordinarily be a disqualification for future employment under the Government.

APPENDIX D

[See rule 14 (2)]

Designation of post	Nature of penalty	Authority empowered to make the order	Appellate authority if any
1	2	3	4
Deputy Director Archaeology	(i) reducing or withholding the amount of ordinary or additional pension admissible under the rules governing pension ; (ii) terminating the appointment otherwise than on his attaining the age fixed for superannuation.	Government	—

DHANENDRA KUMAR,
Secretary to Government, Haryana,
Archaeology and Museums Department.

HARYANA GOVERNMENT

DEPARTMENT OF ARCHAEOLOGY AND MUSEUMS

Notification

The 27th December, 2012

No. 2(R) 24-2011 Pura/5544. - In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Haryana hereby makes the following rules further to amend the Haryana State Archaeology and Museum (Group A) Service Rules, 1997, namely :-

1. These rules may be called the Haryana State Archaeology and Museum (Group A) Service (Amendment) Rules, 2012.
2. In the Haryana State Archaeology and Museums (Group A) Service Rules, 1997 (hereinafter called the said rules), in Appendix A, for the existing Appendix A, the following Appendix shall be substituted, namely:-

“Appendix A

(See rule 3)

Designation of post	Number of posts		Total	Scale of pay
	Permanent	Temporary		
1	2	3	4	5
Deputy Director Archaeology	1	--	1	PB-3 15600-39100+5400 Grade Pay”.

3. In the said rules, in Appendix B, under column 3, for the existing item (i), the following item shall be substituted, namely :-

“(i) By promotion-

At least 5 years experience as Assistant Director, Curator, Numismatic Officer, Registering Officer ;

OR

At least 10 years joint experience as Assistant Director, Curator, Numismatic Officer, Registering Officer and Assistant Archaeologist, out of which two years should be as Assistant Director, Curator, Numismatic Officer, Registering Officer”.

VIJAY VARDHAN,

Principal Secretary to Government Haryana,
Archaeology and Museums Department.

[Authorized English Translation]

HARYANA GOVERNMENT
DEPARTMENT OF ARCHAEOLOGY AND MUSEUMS

Notification

The 28th August, 2015

No. G.S.R. 15/Const./Art.309/2015.— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Haryana hereby makes the following rules further to amend the Haryana State Archaeology and Museum (Group A) Service Rules, 1997, namely:-

1. These rules may be called the Haryana State Archaeology and Museum (Group A) Service (Amendment) Rules, 2015.
2. In the Haryana State Archaeology and Museum (Group A) Service Rules, 1997, in Appendix-B,
 - (I) under column 2, after item (iii), the following item shall be added, namely:-
“(iv) Hindi/Sanskrit upto Matric standard or higher education;” and
 - (II) under column 3, in item (ii), for clause (d), the following clause shall be substituted, namely:-
“(d) Hindi/Sanskrit upto Matric standard or higher education;”

VIJAI VARDHAN,
Additional Chief Secretary to Government Haryana,
Archaeology and Museums Department.